संख्या-1/2026/85/27-11-2026-27-11002(001)/1/2025

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1- अध्यक्ष एवं प्रशासक,
ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास
प्राधिकारी/परियोजना,23-सी गोखले मार्ग, लखनऊ।

2- उप सचिव (लेखा) एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी,
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-14(लेखा), उ0प्र0शासन।

सिंचाई एंव जल संसाधन अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 22 अप्रैल, 2026

विषय:-वितीय वर्ष 2026-27 में ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना व राज्य मुख्यालय के अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों को वहन करने हेतु वितीय स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ग्रेटर शारदा सहायक समादेश के पत्रांक-02/दो-वित्त(लेखा)/बजट-2705/2024-25, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 एवं उप सचिव(लेखा) एवं आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-14(लेखा) के पत्र संख्या-1947/सत्ताईस-सिंचाई/लेखा-14/(बजट)/2026, दिनांक 10.04.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-12 लेखाशीर्षक-2705-कमान क्षेत्र विकास-800-अन्य व्यय-03-ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना में प्रावधानित धनराशि रू0 10663.40 लाख (रूपये एक अरब छः करोड़ तिरसठ लाख चालीस हजार) मात्र के सापेक्ष अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय के निमित्त रू0 10663.40 लाख (रूपये एक अरब छः करोड़ तिरसठ लाख चालीस हजार) मात्र की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अग्रेतर प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत उक्त अधिकारियों के निवर्तन पर रखने हेतु श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

कोड सं0	मद	वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट प्रावधान	वित्तीय स्वीकृति / आवंटन		योग (4+5)
			ग्रेटर शारदा सहायक	राज्य मुख्यालय	
1	2	3	4	5	6
01	वेतन	5850.00	5800.00	50.00	5850.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

03	महंगाई भत्ता	3802.50	3782.50	20.00	3802.50
04	यात्रा व्यय	31.00	30.50	0.50	31.00
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	11.00	11.00	--	11.00
06	अन्य भत्ते	5.50	5.00	0.50	5.50
07	मानदेय	1.00	1.00	--	1.00
08	कार्यालय व्यय	55.00	54.50	0.50	55.00
09	विद्युत देय	34.00	34.00	--	34.00
10	जलकर/जल प्रभार	3.00	3.00	--	3.00
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	25.00	25.00	--	25.00
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	17.00	17.00	--	17.00
13	टेलीफोन पर व्यय	4.00	4.00	--	4.00
15	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30.00	30.00	--	30.00
16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	25.00	25.00	--	25.00
17	किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व	115.00	115.00	--	115.00
18	प्रकाशन	1.00	1.00	--	1.00
29	अनुरक्षण	5.00	5.00	--	5.00
42	अन्य व्यय	12.20	12.20	--	12.20
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5.00	5.00	--	5.00
45	अवकाश यात्रा व्यय	2.20	2.20	--	2.20
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	25.00	25.00	--	25.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	25.00	25.00	--	25.00
49	चिकित्सा व्यय	173.00	168.00	5.00	173.00
	वर्दी व्यय	3.00	3.00	--	3.00
55	मकान किराया भत्ता	403.00	397.00	6.00	403.00
	योग -	10663.40	10580.90	82.50	10663.40

(रूपये एक अरब छः करोड़ तिरसठ लाख चालीस हजार मात्र)

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार किया जाएगा और जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी प्राप्त की जाएगी। स्थानान्तरण यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, विद्युत व्यय, जलकर/जलप्रभार लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, टेलीफोन पर व्यय तथा गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद पर व्यय मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों के अनुसार किया जाए तथा उन मदों में आवंटित धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए। उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन एवं भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एवं प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए तथा यह धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर तत्काल रखी जाए।

(2) प्रत्येक भूमि संरक्षण इकाई में कार्यरत कार्मिकों के स्थापना मद में जितनी धनराशि वेतन मद में आवंटित की जाए उसके सापेक्ष शासन द्वारा समय-समय पर अनुमन्य दर के अनुरूप ही महंगाई भत्ता तथा अन्य-भत्ते आदि की मानक मदों में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार धन का आवंटन किया जाए, ताकि एतद्द्वारा स्थापना मदों का व्यय वहन किये जाने में कोई अनुपातिक विसंगति उत्पन्न न हो तथा इसके फलस्वरूप धनराशि संवितरण सम्बन्धी कोई कठिनाई/समस्या उत्पन्न न हो।

(3) समादेश के मुख्य वित्तीय सलाहकार/परामर्शदाता द्वारा व्यक्तिगत रूप से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि समादेश मुख्यालय, मण्डलीय उप निदेशक कार्यालय अथवा क्षेत्रीय भूमि संरक्षण इकाईयों द्वारा शासन से निर्धारित मितव्ययिता के मदों तथा कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, टेलीफोन पर व्यय, गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों का विचलन न हो।

(4) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्यता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(7) शासन द्वारा स्वीकृति धनराशि के व्यय की सूचना बी0एम0-13 के निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन तथा वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्ष: 2705008000300 (ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना)

कोड सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	01 वेतन	58,50,00,000 (रुपये अट्ठावन करोड़ पचास लाख मात्र)
2	012	2705008000300	03	38,02,50,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	मंहगाई भत्ता	(रुपये अड़तीस करोड़ दो लाख पचास हजार मात्र)
3	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	04 यात्रा व्यय	31,00,000 (रुपये इकतीस लाख मात्र)
4	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	11,00,000 (रुपये ग्यारह लाख मात्र)
5	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	06 अन्य भत्ते	5,50,000 (रुपये पाँच लाख पचास हजार मात्र)
6	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	07 मानदेय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
7	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	08 कार्यालय व्यय	55,00,000 (रुपये पचपन लाख मात्र)
8	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	09 विद्युत देय	34,00,000 (रुपये चौंतीस लाख मात्र)
9	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	10 जलकर / जल प्रभार	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
10	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
11	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	17,00,000 (रुपये सत्रह लाख मात्र)
12	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	13 टेलीफोन पर व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
13	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
15	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	1,15,00,000 (रुपये एक करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)
16	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	18 प्रकाशन	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
17	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	29 अनुरक्षण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
18	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	42 अन्य व्यय	12,20,000 (रुपये बारह लाख बीस हजार मात्र)
19	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
20	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,20,000 (रुपये दो लाख बीस हजार मात्र)
21	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
22	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
23	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	49 चिकित्सा व्यय	1,73,00,000 (रुपये एक करोड़ तिहत्तर लाख मात्र)
24	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी / परियोजना	51 वर्दी व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	012	2705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना	55 मकान किराया भत्ता	4,03,00,000 (रुपये चार करोड़ तीन लाख मात्र)
	कुल			**1,06,63,40,000** (रुपये एक अरब छह करोड़ तिरेसठ लाख चालीस हजार मात्र)
महायोग				**1,06,63,40,000** (रुपये एक अरब छह करोड़ तिरेसठ लाख चालीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/वी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
RAJEEV KUMAR VATSYA
Date: 22-04-2026
17:21:19

(राजीव कुमार वत्स)
संयुक्त सचिव

संख्या-1/2026/85(1)/27-11-2026-27-11002(001)/1/2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

(3) उप सचिव, जल शक्ति मंत्रालय (कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन विंग), भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(4) स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

(5) विशेष सचिव/बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

(6) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) उप सचिव(लेखा/नोडल) अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन।

(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/8, उ0प्र0 शासन।

(9) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।

(10)नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(11)गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Om Prakash
Date: 22-04-2026
17:36:23

(ओम प्रकाश)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।